न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 70 / 2022

आरसीएमएस नं. 2022 / 70

रूपराम पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

——अपीलांट

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. विनोद पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. सहायक अभियन्ता जो.वि.एन.एल. गोगामेड़ी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।

— रेस्पोडेंट्स

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 07.03.2022, प्र. सं. 66 / 2021

उपस्थितिः—

श्री विजय कौशिक अभिभाषक अपीलांट

श्री महेश शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 व 2

श्री विजय सिह कड़वासरा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 3

श्री राजेश कौशिक अभिभाषक रेस्पो0 सं0 4

निर्णय दिनांक 22.12.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जिसमें कथन किया कि रोही मौजा 8 डीपीएन के खाता सं0 9/7 में कुल 3.036 है0 नहरी भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 5 डीपीएन के खाता संख्या 4/100 के मु. नं. 47 में 2.0240 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा व रोही मौजा चक 2 डीएनके खाता संख्या 15/141 मु. नं. 11 के किला नं. 16, 17, 18, 19, 20, 21 ता 25 की कुल 1.985 है0 नहरी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 2416/9925 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 2 डीपीएन के खाता संख्या 16/14 के मु. नं. 27 के किला नं. 5, 6 की 0.5060 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पहले यह भूमि श्योचन्द के नाम थी। श्योचन्द के फौत होने के बाद भूमि परिवार का कर्ता होने के कारण प्रार्थी के पिता औमप्रकाश थी। अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज आराजी प्रार्थ्ज्ञी व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 व दावामें प्रतिवादीगणसं0 3 व 4 की जद्दी जायदा द है जिसमें प्राथ्र एवं दावा के सभी प्रतिवादीगण का जन्म से हक व अधिकार है। प्रतिवादीगण सं0 3व 4 ने ने शुरू से ही अपना हक हिस्सा त्याग कर हिस्सा शून्य कर लिया है। वाद भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज रहने से अप्रार्थी वाद भूमि को बहकावे में आकर रहन/बैय या मुन्तकिल करने पर आमादा है यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो इससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अपीलाधीन निर्णय के द्वारा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट का प्रश्नगत भूमि में हक हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत है विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का हक ना होने सम्बन्धित कोई अवधारण पारित नही की। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दू रेस्पोडेण्ट के पक्ष में करने में भूल की है क्यों कि संयुक्त हिन्दू खानदान की पैतृक सम्पति में जन्म से हक व हिस्सा प्रथम दृष्टया अपीलांटा का है। इस कारण सह काश्त कार भूमि में से सिंचाई व्यवस्था भंग करने का किसी भी काश्तकार को एकल रूप से कोई अधिकार नहीं है। प्रथम दृष्टया प्रकरण रेस्पो0 सं0 1 के हक में नही बनता है एवं सिंचाई व्यवस्था भंग होने से फसल को पानी की आपूर्ति पर्याप्त मात्र में नहीं होने से क्षति होने की

राजस्व अपील प्राधिकारी

सम्भावना अत्यधिक होने से सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू भी अपीलाण्ट के पक्ष में है एवं भूमि को अगर दौराने वाद रहन बेय एवं मुन्तकिल किया जाता है तो भी दावा के रोज की स्थिति परिवर्तित होने की सम्भावना एवं प्रकरणों की बाहूल्यता बढने की सम्भावना होगी ऐसी स्थिति कें अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2 ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत वर्णित वाद भूमि सम्पूर्ण खतोदारी प्रार्थी के दादा श्योचंद की खातेदारी नही हुआ करती थी। वाद भूमि में मिन अप्रार्थी की स्वअर्जित भूमि भी शामिल हैं इसलिए सम्पूर्ण भूमि में प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा अपीलाण्ट ने दावा में प्रतिवादीगण सं0 3 व 4 द्वारा वाद भूमि में अपना हक व हिस्सा प्रार्थी के पक्षमें तर्क कर अपना हक व हिस्सा शून्य होना गलत अंकित किया है व प्रार्थी को वाद भूमि में 1/3 हिस्सा पर कोई कब्जा काश्त नही है। रेस्पोडेण्ट जिस भूमि में कुआ व ट्रांसफमर लगा रखा है वह उसकी खुद की स्वअर्जित खातेदारी है। अप्रार्थी के खेत में लगे कुआ का पानी खराब हो गया एवं सिंचाई लायक नही रहा जिसके चलते अप्रार्थी अपने दूसरे खेत में कुआ लगा रहा है जहां अप्रार्थी अपने पुराने बिजली कनैक्शन की नियमानुसार स्थानान्तरित करवा रहौ जिसे रूकवाने का प्रार्थी को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। यदि प्रार्थी को बिजली कनैक्शन की आवचश्यकता है तो बिजली विभगा से नियमानुसार अपना कनैक्शन लेने हेतु स्वतंत्र है परन्तु अप्रार्थी का अपने कनैक्शन को दूसरे खेत में स्थानान्तररित करने से रूकवाने का प्रार्थी को किसी भी प्रकार का अधिकार नही है। अपीलाण्ट ने महज रेस्पोडेण्ट को नाहक हैरान परेशान करने के लिए यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है। विचारण न्यायलाय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. रेस्पोडेण्ट संख्या 3 व 4 ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट/प्रार्थी ने औमप्रकाश के वारिस के तौर पर प्रश्नगत भूमि में खातेदारी अधिकारों का दावा किया है। वाद भूमि में रेस्पोडेण्ट/अप्रार्थी की स्वअर्जित भूमि भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

शामिल है। इसलिए सम्पूर्ण भूमि में अपीलाण्ट का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अपीलाण्ट ने प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 द्वारा वाद भूमि में अपना हक व हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में तर्क करने का कथन किया है ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। अपीलाण्ट का वाद भूमि में 1/3 हिस्सा पर कोई कब्जा काश्त हो ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। रेस्पोडेण्ट ने जिस खेत में कुआ व ट्रांसफार्मर लगा रखा है वह उसकी खुद की स्वअर्जित खातेदारी है व रेस्पोडेण्ट के खेत में लगे कुआ को पानी खराब होने के कारण स्थानान्तरित करवा रहा है जिसे रूकवाने का अपीलाण्ट को किसी प्रकार का अधिकार नही हे। यदि अपीलाण्ट को बिजली कनैक्शन की आवश्यकता है तो बिजली विभाग से नियमानुसार अपना कनैक्शन लेने के लए स्वतंत्र है परन्तु रेस्पोडेण्ट को अपने कनैशन को दूसरे खेत में स्थानान्तरित करने से रूकवाने का उसे कोर्ठ अधिकार नही है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला रेस्पोडेण्ट के पक्ष में है। यदि प्रकरण में अस्थाई निषेधारी जारी की जाती है तो वह अपनी भूमि के सुविधानुसार उपयोग उपभोग से वंचित हेा जायेगा। यदि रेसपोडेण्ट कुआ का कनैक्शन करवाना चाहता तो अपीलाण्ट को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हे। अपीलाण्ट के खातेदारी हक अधिकारें का निर्धारण मूल वाद में किया जाना है जो अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं है बल्कि रेस्पोडेण्ट के पक्ष में है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.03.2022 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)